बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

आदेश

E-mail

संचिका सं0–6/रा0ग्रा0पे0यो0–108/10– 2873 दिनांक– 08/12/15

विषयः– M/S D.N.A. Infrastructure Pvt. Ltd., G-11, Sector-11 Noida को राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत राज्य के 12 जिलों में सोलर पम्प/ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक स्रोत पर आधारित पम्प के साथ 165 मिनी पाईप्ड जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु आवंटित कार्य की एकरारनामा संख्या– एस0बी0डी0–01/2011–12 को विखंडित कर जमानत की राशि राज्यसात् करने एवं फर्म को काली सूची में डालने के संबंध में।

राज्य के 12 जिलों में सोलर पम्प/ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक स्रोत पर आधारित पम्प के साथ 165 मिनी पाईप्ड जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु मे0 M/S D.N.A. Infrastructure Pvt. Ltd., G-11, Sector-11 Noida को विभागीय पत्रांक–3704, दिनांक– 20.12.2010 द्वारा कार्य आवंटन आदेश निर्गत किया गया। तदनुसार फर्म द्वारा एकरारनामा कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, समस्तीपुर के साथ दिनांक– 13.04.2011 को (एकरारनामा संख्या एस0बी0डी0–01/2011–12) सम्पन्न हुआ। एकरारनामा के अनुसार योजना पूर्ण करने की निर्धारित अवधि 12 माह थी, जो दिनांक– 19.12.2011 को समाप्त हो चुकी है। फर्म द्वारा शपथ पत्र के साथ कार्य पूर्ण करने हेतु समयावधि विस्तार करने के लिए अनुरोध किये जाने पर दिनांक– 31.03.2014 तक समयावधि विस्तारित की गयी थी।

क्षेत्रीय पदाधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार फर्म को 165 के विरूद्ध एकरारित अवधि के अंदर कुल 149 स्थल उपलब्ध कराये गये एवं विस्तारित अवधि में 15 स्थल यानि कुल 164 स्थल आवंटित किये गये हैं, जिसके विरूद्ध एकरारित अवधि में 7 तथा विस्तारित अवधि में 31 यानि कुल 38 योजनाएँ पूर्ण की गई है एवं अपूर्ण योजनाओं की संख्या 67 है। उक्त के अतिरिक्त 59 स्थलों पर फर्म के द्वारा कार्य भी प्रारम्भ नहीं किया गया है।

कार्यपालक अभियंता के प्रतिवेदन के अनुसार फर्म द्वारा कार्य माह अप्रैल, 2014 से काफी धीमी एवं माह सितम्बर, 2014 से कार्य लगभग बंद है।

कार्य की प्रगति असंतोषजनक रहने की स्थिति में फर्म को विभागीय पत्रांक–2369, दिनांक–09.12.2014 द्वारा स्पष्टीकरण 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया तथा यह भी कहा गया कि क्यों नहीं एकरारनामा के शर्तों के आलोक में उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाए। स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने की स्थिति में पुनः विभागीय पत्रांक–1246, दिनांक–28.04.2015 द्वारा 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश फर्म को दिया गया जिसमें यह भी कहा गया कि निर्धारित अवधि के अन्दर स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने पर एकतरफा निर्णय लेते हुए फर्म के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।

उक्त संदर्भ में फर्म अपने पत्रांक– शून्य, दिनांक– 19.12.2014 द्वारा योजना के कार्यों की प्रगति की स्थिति बतायी गयी है, जिसके अनुसार प्राप्त 165 स्थल के विरूद्ध

50 योजना का कार्य पूर्ण किया गया है, एवं 62 योजना पर कार्य प्रगति में है। फर्म द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि फर्म की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं रहने के कारण उन्हें कार्य करने में दिक्कत हुई है। उनके द्वारा निर्माणाधीन योजना को माह दिसंबर 2014 तक तथा शेष अपूर्ण योजना को माह जून 2015 तक पूरा करने हेतु सूचना दी गयी है। साथ ही फर्म द्वारा शपथ पत्र के साथ Undertaking भी दिया गया है। परन्तु, इनके द्वारा योजना पूर्ण करने हेतु कोई विस्तृत कालबद्ध कार्य योजना नहीं दिया गया है। फर्म द्वारा जमानत की राशि के रूप में जमा किये गये कुछ बैंक गारंटी की वैधता तिथि समाप्त हो जाने के बावजूद उसे नवीकरण नहीं किया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि फर्म द्वारा कार्य को पूर्ण करने के प्रति अब कोई रूचि नहीं रह गई है। साथ ही इनकी कोई प्रतिबद्धता भी परिलक्षित नहीं होती है, क्योंकि इनके द्वारा योजना का कार्य बन्द कर दिया गया है।

उक्त से यह स्पष्ट होता है कि फर्म को कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं लाने, एक लम्बे अर्से से कार्य बंद कर देने के कारण एकरारित लक्ष्य को पूर्ण करने के प्रति कोई प्रतिबद्धता नहीं रह जाने की स्थिति में एकरारनामा के Clause of Contract की कंडिका–1A, 2, 3, 14 एवं 53 के आलोक में फर्म की संविदा विखंडित करते हुए जमानत की राशि राज्यसात् करने एवं असमायोजित मोवालाईजेशन अग्रिम की राशि वसूली करने का यथोचित मामला बनता है।

अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में सम्यक् विचारोपरान्त मे0 M/S D.N.A. Infrastructure Pvt. Ltd., G-11, Sector-11 Noida जिनका निबंधन संख्या– 410/10 है की संविदा (एकरारनामा संख्या–एस0बी0डी0–01/2011–12) को विखंडित कर जमानत की राशि राज्यसात् करने एवं असमायोजित मोवलाईजेशन अग्रिम की राशि की वसूली करने तथा 5 (पाँच) वर्षों के लिए काली सूची में डालने का निर्णय लिया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

07/12/15

(बीरेन्द्र कुमार)
मुख्य अभियंता (नागरिक)

ज्ञापांक– 2873 दिनांक– 08/12/15

प्रतिलिपिः– M/S D.N.A. Infrastructure Pvt. Ltd., G-11, Sector-11, Noida- 201301 (U.P.) India, Phone/Fax : 91-120-4043000 को सूचनार्थ प्रेषित।

07/12/15

(बीरेन्द्र कुमार)
मुख्य अभियंता (नागरिक)

ज्ञापांक– 2873 दिनांक– 08/12/15

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग/प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग/प्रधान सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद/प्रबंध निदेशक, बुडको, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

07/12/15

(बीरेन्द्र कुमार)
मुख्य अभियंता (नागरिक)

All draft 2015

ज्ञापांक– 2873 दिनांक– 08/12/15

प्रतिलिपिः– सभी क्षेत्रीय मुख्या अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेश है कि फर्म की जमानत की राशि तथा असमायोजित मोवालाईजेशन अग्रिम की राशि को राज्यसात करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करें।

07/12/15

(बीरेन्द्र कुमार)
मुख्य अभियंता (नागरिक)

ज्ञापांक– 2873 दिनांक– 08/12/15

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव/मुख्य अभियंता (ना0/रूपां0)/संयुक्त सचिव (प्र0को0)/उप सचिव (प्र0को0)/कार्यपालक अभियंता (मो0)/उपनिदेशक (मू0)/प्रशाखा–6/आई0टी0 मैनेजर/कम्प्यूटर प्रोग्रामर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई0टी0 मैनेजर को निदेश है कि विभाग के वेवसाईट पर इस आदेश को अपलोड तुरंत करें।

07/12/15

(बीरेन्द्र कुमार)
मुख्य अभियंता (नागरिक)